संख्या-17 /2022/33/24-1-22-3451/2009

प्रेषक:

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेकश,
उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 01 फरवरी, 2022**

विषय:- उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 को पनकी 1×660 मेगावाट इकाई कीस्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के पत्र संख्या-04/उ0नि0लि0/नि0(वित्त), दिनांक 01 जनवरी, 2022 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 को पनकी 1×660 मेगावाट इकाई की स्थापना हेतु अंशपूँजी मद में वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्राविधानित धनराशि रूपये 449,66,00,000/- (रूपये चार सौ उनचास करोड़ छांछठ लाख मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रूपये 199,66,00,000/- (रूपये एक सौ निन्यांनवे करोड़ छांछठ लाख मात्र) में से धनराशि रुपये 100,00,00,000/- (रूपये एक सौ करोड़ मात्र) स्वीकृत कर आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या- 437/6/1/ECI/INST/MCC/2022, दिनांक 08-01-2022 द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा सामान्य निर्वाचन, 2022 की घोषणा के उपरान्त आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। उ0प्र0 राज्य विद्यत उत्पादन निगम लि0 द्वारा वर्तमान में लागू आदर्श चुनाव आचार संहिता के दृष्टिगत उसके पूर्ण अनुपालन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आदर्श चुनाव आचार संहिता का उललंघन न हो।

(2) प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता होने पर किया जायेगा तथा आवश्यकता के दृष्टिगत तिथि की सूचना तत्काल ऊर्जा अनुभाग-1 को उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त धनराशि आहरित कर अनावश्यक रूप से बैंक में नहीं रखी जायेगी तथा इकाई की स्थापना से पूर्व सभी क्लियेरेन्य नियमानुसार प्राप्त कर लिया जाय।

(3) प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि उसी मद में व्यय की जायेगी, जिस परियोजना की स्थापना हेतु स्वीकृत की गयी है।

(4) प्रस्तर-1 में स्वीकृति धनराशि का आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या- 426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-17 /2022/33/24-1-22-3451/2009

प्रेषक:

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेकश,
उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 01 फरवरी, 2022**

विषय:- उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 को पनकी 1×660 मेगावाट इकाई कीस्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के पत्र संख्या-04/उ0नि0लि0/नि0(वित्त), दिनांक 01 जनवरी, 2022 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 को पनकी 1×660 मेगावाट इकाई की स्थापना हेतु अंशपूँजी मद में वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्राविधानित धनराशि रूपये 449,66,00,000/- (रूपये चार सौ उनचास करोड़ छांछठ लाख मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रूपये 199,66,00,000/- (रूपये एक सौ निन्यांनवे करोड़ छांछठ लाख मात्र) में से धनराशि रुपये 100,00,00,000/- (रूपये एक सौ करोड़ मात्र) स्वीकृत कर आहरित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या- 437/6/1/ECI/INST/MCC/2022, दिनांक 08-01-2022 द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा सामान्य निर्वाचन, 2022 की घोषणा के उपरान्त आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। उ0प्र0 राज्य विद्यत उत्पादन निगम लि0 द्वारा वर्तमान में लागू आदर्श चुनाव आचार संहिता के दृष्टिगत उसके पूर्ण अनुपालन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आदर्श चुनाव आचार संहिता का उललंघन न हो।

(2) प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता होने पर किया जायेगा तथा आवश्यकता के दृष्टिगत तिथि की सूचना तत्काल ऊर्जा अनुभाग-1 को उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त धनराशि आहरित कर अनावश्यक रूप से बैंक में नहीं रखी जायेगी तथा इकाई की स्थापना से पूर्व सभी क्लियेरेन्य नियमानुसार प्राप्त कर लिया जाय।

(3) प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि उसी मद में व्यय की जायेगी, जिस परियोजना की स्थापना हेतु स्वीकृत की गयी है।

(4) प्रस्तर-1 में स्वीकृति धनराशि का आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या- 426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in